:: <u>न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ (राज.)</u> ::

क्रमांकः 18 दिनांकः 25/4/24

:: <u>आदेश</u> ::

इस कार्यालय के पूर्व आदेश **क्रमांक 17 दिनांक 08.04.2024** के द्वारा **दिनांक 27.04.2024 व 28.04.2024** के राजकीय अवकाशों के लिए **श्री मनोज सिंह फौजदार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02, झालावाड़** की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई थी। श्री मनोज सिंह फौजदार का झालावाड़ न्याय क्षेत्र से स्थानांतरण हो जाने से उक्त रिमांड ड्यूटी निरस्त की जाती है। साथ ही दिनांक 26.04.2024 को मतदान दिवस का अवकाश घोषित होने से **दिनांक 26.04.2024, 27.04.2024 व 28.04.2024** के अवकाशों के दिन **(उक्त अवकाशों के पूर्व–पश्चात के दिन/दिनों में किन्हीं कारणों से घोषित अवकाश सहित)** झालावाड़ न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड अभिवृद्धि व अन्य आवश्यक प्रकृति के कार्य, जिसमें धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान एवं मृत्युकालिक कथन लेखबद्व करना व धारा 176 (1क) के तहत मृत्यु समीक्षा जॉच करना शामिल है, को करने के लिए **श्रीमती शिल्पी बंसल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, झालावाड** को अधिकृत किया जाता है। इसके अलावा पूर्व का मूल आदेश यथावत रहेगा।

-Sd-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड।

क्रमांकः 431 दिनांकः 25/4/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

01. माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़
02. श्रीमती शिल्पी बंसल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, झालावाड़।
03. श्री मनोज सिंह फौजदार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02, झालावाड़।
04. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे ।
05. प्रभारी अधिकारी वायर लैस केन्द्र झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड़ जिले के समस्त थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे ।
06. आदेश/संबंधित पत्रावली ।
07. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को झालावाड न्याय क्षैत्र की Website-jhalawar.dcourts.gov.in पर इस आदेश को अपलोड़ करने हेतु।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़।